



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 नवम्बर, 1976

अग्रहायण 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4948/सत्रह-वि-1-57-76

लखनऊ, 22 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड)
अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1976]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के बिजली के तार और ट्रांसफार्मर या उनके पुर्जों की या उनके विनिर्माण में प्रयुक्त धातुओं को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए दण्ड की व्यवस्था करके बिजली के तार और ट्रांसफार्मर की चोरी के गम्भीर संकट को नियन्त्रित करने और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निर्मललिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 20 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "अल्पमूल्य" के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या निर्मित रूप सहित प्रत्येक प्रकार का अल्पमूल्य है;

(ख) "तांबा" के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या निर्मित रूप सहित प्रत्येक प्रकार का तांबा है;

(ग) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है।

अल्पमूल्य और तांबे के विक्रय और संग्रह पर निबन्धन

3—(1) कोई भी व्यक्ति उस जिले के, जिसमें वह सामान्यतया निवास करता है लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिये गये लाइसेंस के बिना अल्पमूल्य या तांबे के क्रय या विक्रय का कारबार नहीं करेगा या ऐसा कारबार करने के लिए उनका संग्रह नहीं करेगा।

(2) लाइसेंस देने की प्रक्रिया, उसकी विधिमान्यता को अवधि, उसे निरन्तर करने या रद्द करने, लाइसेंस प्रस्वीकार, निरन्तर या रद्द करने के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया उसके सम्बन्ध में फीस, लाइसेन्सी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखा और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां वही होंगी, जो विहित की जायें।

(3) जहां किसी समय किसी व्यक्ति को पास उसके स्टॉक में विहित परिमाण से अधिक किसी परिमाण में अल्पमूल्य या तांबा है वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायगा कि उसने ऐसा अल्पमूल्य या तांबा क्रय या विक्रय का कारबार करने के लिए संग्रह किया है।

विद्यमान स्टॉक की घोषणा

4—कोई व्यक्ति जिसके स्टॉक में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा 3 के अधीन विहित परिमाण से अधिक परिमाण में अल्पमूल्य या तांबा है, उस दिनांक से जब ऐसा परिमाण प्रथमः विहित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर, लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसे स्टॉक को घोषित करेगा।

बिजली का तार या ट्रांसफार्मर को बिधि विरुद्ध कब्जे में रखने के लिए शक्ति

5—कोई व्यक्ति जिसके कब्जा में कोई बिजली का तार या ट्रांसफार्मर या उसका कोई भाग या जिसके कब्जा में धातुपिंड के रूप में या द्रवीभूत या निर्मित या किसी अन्य रूप में कोई तांबा या अल्पमूल्य (जो धारा 3 के अधीन विहित परिमाण से अधिक हो) पाया जाता है या यह साबित हो जाय कि पाया गया है—

(1) जिसके बारे में यह युक्तियुक्त सन्देह हो कि वह चुराया गया है या बिधि-विरुद्ध प्राप्त किया गया है, और जिसके सम्बन्ध में वह, यह साबित करने में असफल रहा है कि उसने उसका कब्जा बिधिपूर्वक प्राप्त किया था, या

(2) जिसे उसने, यथास्थिति, धारा 4 के अधीन घोषित न किया हो या धारा 3 के अधीन विहित रजिस्टर या विवरणी में दिखाया न हो—

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा और विशेष और पर्याप्त कारण के जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, अभाव में ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा;

(ख) द्वितीय या किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा, और विशेष और पर्याप्त कारण से, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, अभाव में ऐसा कारावास दो वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा।

अपराध के प्रति भौतानुकूलता के लिए दण्ड

6—भूमि या भवन के कोई स्वामी या अध्यासी या उस भूमि या भवन के प्रबन्ध के प्रभारी ऐसे स्वामी या अध्यासी का कोई एजेंट, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को जानबूझ कर अनदेखी करता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

गाड़ियों आदि का समपहरण करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति

7—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार करन वाला कोई न्यायालय किसी ऐसी सम्पत्ति का, जिसके बारे में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किये जाने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसे पात्र, पैकेज या आबेष्टक का जिसमें ऐसी सम्पत्ति हो और ऐसी सम्पत्ति के वहन में प्रयुक्त पदार्थों, गाड़ियों या अन्य वाहनों का समपहरण किये जाने का आदेश भी दे सकता है।

8—लाइसेन्स प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, वृत्तीय सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे—

लाइसेन्स प्राधिकारी की शक्ति

(क) किसी स्थान, भू-गुहादि, गाड़ी या जलयान में, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या इसके अधीन जारी किये गये किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अध्यासी या किसी प्रभारी व्यक्ति से, कोई वही, लेखा या अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे उल्लंघन से सम्बद्ध संव्यवहारों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;

(ख) किसी स्थान या भू-गुहादि, गाड़ी या जलयान में, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या इसके अधीन जारी किये गये किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है या उसे तोड़ सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(ग) किसी ऐसे दस्तावेज से, जिसमें उक्त उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार को दिखाया गया हो, उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकता है या लिवा सकता है ;

(घ) अल्पमूल्य और तांबे के स्टाक को और उनका इस अधिनियम के उपबन्धों का या उसके अधीन जारी किये गये लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहन करने में जिन वस्तुओं, गाड़ियों, जलवाहनों या अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाय, उनकी तलाशी ले सकता है, अभिग्रहण कर सकता है, और हटा सकता है और तत्पश्चात् ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जो इस प्रकार अभिग्रहीत किये गये स्टाक और वस्तुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों को किसी न्यायालय में पेश किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश किये जाने तक उनकी निरापद अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों, कर सकता है या करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

9—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

10—(1) उत्तर प्रदेश विजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी ।

No. 4948/XVII-V-1—57-76

Dated Lucknow, November 22, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bijali Ke Tar Aur Transformer (Chori Ka Niwaran Aur Dand) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 42 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH ELECTRIC WIRE AND TRANSFORMERS
(PREVENTION AND PUNISHMENT OF THEFT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 42 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to control the serious menace of theft of electric wires and transformers belonging to the Uttar Pradesh State Electricity Board by providing for punishment for unauthorised possession of the same or parts thereof or metals used in their manufacture and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment of Theft) Act, 1976.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on August 20, 1976.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'aluminium' includes every form of aluminium including ingot, melted or finished form;

(b) 'copper' includes every form of copper including ingot, melted or finished form;

(c) 'licensing authority' means the District Magistrate of the district or any other officer authorised by him to perform any of the functions of the District Magistrate under this Act.

Restrictions on sale and storage of aluminium and copper.

3. (1) No person shall carry on the business of purchase or sale of aluminium or copper or store it for carrying on such business except under a licence granted by the Licensing Authority of the district in which he ordinarily resides or carries on business.

(2) The procedure for grant of such licence, its period of validity, for its suspension or cancellation, for appeals against refusal, suspension or cancellation of licence, the fees in respect thereof, the registers and accounts to be maintained by the licensee, and the returns to be furnished by him, shall be as may be prescribed.

(3) Where at any time any person has in his stock aluminium or copper in any quantity exceeding the quantity prescribed, he shall, for the purposes of this section, be deemed to have stored it for carrying on the business of purchase or sale of such aluminium or copper.

Declaration of existing stocks.

4. Any person who at the commencement of this Act, has in his stock aluminium or copper in a quantity exceeding the quantity prescribed under section 3 shall declare such stock to the Licensing Authority within fifteen days from the date on which the quantity is first prescribed.

Penalty for unlawful possession of electric wire or transformers.

5. Whoever is found or is proved to have been in possession of any electric wire or transformer or any part thereof or in possession (in a quantity exceeding that prescribed under section 3), of any copper or aluminium, whether in the form of ingot or in melted, finished or any other form,—

(i) which is reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained, and in respect of which he fails to prove that it came into his possession lawfully; or

(ii) which has not been declared by him under section 4 or, as the case may be, has not been shown in a register or return prescribed under section 3, shall be punishable—

(a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three years, and also with fine, and in the absence of special and adequate reasons to be mentioned in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than one year and such fine shall not be less than one thousand rupees;

(b) for the second or a subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to five years and also with fine, and in the absence of special and adequate reasons to be mentioned in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than two years and such fine shall not be less than two thousand rupees.

Punishment for offence.

6. Any owner or occupier of land or building or any agent of such owner or occupier in charge of the management of that land or building, who wilfully connives at contravention of the provisions of this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Power of Court to order forfeiture of vehicles, etc.

7. Any court trying an offence punishable under this Act may order the forfeiture to Government of any property in respect of which the Court is satisfied that an offence under this Act has been committed and may also order the forfeiture of any receptacles, packages or coverings in which such property is contained, and the animals, vehicles or other conveyances used in carrying the property.

8. The Licensing Authority or any other officer authorised by the State Government in this behalf may, with such assistance, if any, as he thinks fit,— Powers of the Licensing Authority.

(a) require the owner, occupier or any person in charge of any place, premises, vehicle, or vessel in which he has reason to believe that any contravention of the provisions of this Act or of the conditions of any licence issued thereunder has been, is being or is about to be committed, to produce any books, accounts or other documents showing transactions relating to such contravention ;

(b) enter, inspect or break open and search any place or premises, vehicle or vessel in which he has reason to believe that any contravention of the provisions of this Act or of the conditions of any licence issued thereunder, has been, is being or is about to be committed ;

(c) take or cause to be taken, extracts or copies of, any documents, showing transactions relating to such contravention ;

(d) search, seize, and remove stocks of aluminium and copper and the animals, vehicles, vessels, or other conveyance used in carrying the same in contravention of the provisions of this Act, or of the conditions of the licence issued thereunder, and thereafter, take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of such stocks and the animals, vehicles, vessels or other conveyances so seized, in a court and for their safe custody pending such production.

9. The State Government may by notification in the Gazette make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

10. (1) The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment of Theft) Ordinance, 1976, is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

P. Ordinance no. of 1976.